अति महत्वपूर्ण/मानव सम्पदा पोर्टल

संख्या- 353 /सैतालीस-का-5-2024-(1844028)

प्रेषक,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : 30-08-2024

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या– 267/ सैतालीस-का-5-2024 (1838120), दिनांक 17.08.2024 द्वारा निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

1. शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 में की गयी अपेक्षानुसार विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों द्वारा वर्ष 2023 के सापेक्ष अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर अवश्य ही दर्ज कर दिया जाए।

2. कतिपय कार्मिकों द्वारा वर्ष 2023 के सापेक्ष चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज न करते हुए वर्ष 2024 के सापेक्ष अपना विवरण दर्ज किया गया है। उन्हें वर्ष 2023 के सापेक्ष चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिये जाए। वर्ष 2024 के सापेक्ष चल-अचल सम्पत्ति का विवरण 31 दिसम्बर, 2024 के पश्चात दर्ज किया जाना होगा।

3. चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही माह अगस्त , 2024 का वेतन आहरित किया जाए।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैं:-

1. उत्तर प्रदेश राज्य में तैनात अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) / अखिल भारतीय वन सेवा (IFS) / अखिल भारतीय पुलिस सेवा (IPS) एवं प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (PCS) के अधिकारियों द्वारा चूंकि पृथक से संचालित sparrow पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण भरा जाता है। अतएव उपरोक्त अधिकारियों को मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण भरने की अनिवार्यता से मुक्त (exempt) किया जाता है। उक्त अधिकारियों द्वारा sparrow पर प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण को मानव सम्पदा पोर्टल से इन्टीग्रेट करने की

कार्यवाही एन०आई०सी० द्वारा की जाए।

2. उपरोक्त बिन्दु सं0-1 में वर्णित अधिकारियों / कार्मिकों को मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण भरने से मुक्त (exempt) करने की व्यवस्था एन०आई०सी० द्वारा तत्काल की जाए।
3. शेष विभागों द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 17.08.2024 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद सचिवालय।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय।
4. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज / उत्तर प्रदेश अधीलस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
13. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।